न्यायालय सहायक कलक्टर (ACEM), नाथद्वारा, जिला–राजसमंद

(पीठासीन अधिकारी :– रक्षा पारिक, R.A.S.)

प्रकरण संख्याः– 2023/1231राजस्व वाद दिनांक– 11.11.2025

अनवान

1. मांगीलाल पिता हिरालाल जी, जाति लौहार, उम्र वयस्क, निवासी शिशवी, तहसील देलवाडा, जिला राजसमंद।

..... वादी

बनाम

1. हिरालाल पिता देवा जी, जाति लौहार, उम्र वयस्क, निवासी शिशवी, तहसील देलवाडा, जिला राजसमंद।
2. केशुलाल पिता हीरालाल जी, जाति लौहार, उम्र वयस्क, निवासी शिशवी, तहसील देलवाडा, जिला राजसमंद।
3. किशनलाल पिता भगवानलाल जी, जाति लौहार, उम्र वयस्क, निवासी शिशवी, तहसील देलवाडा, जिला राजसमंद।
4. प्रेमलता पत्नि किशनलाल जी, जाति लौहार, उम्र वयस्क, निवासी शिशवी, तहसील देलवाडा, जिला राजसमंद।
5. सब रजिस्ट्रार, सब रजिस्ट्रार कार्यालय देलवाडा, जिला राजसमंद।
6. पटवारी, पटवार हल्का शिशवी, तहसील देलवाडा, जिला राजसमंद।
7. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब, तहसील देलवाडा, जिला रासजमंद।

..... प्रतिवादीगण

वाद घोषणा इन्द्राज दुरूस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा
प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 07 नियम 11 सीपीसी

उपस्थितः– श्री गणपत कोठारी, अधिवक्ता (वादी)।

श्री सुरेश खटीक, (अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 04)

–: आदेश :–

दिनांकः–11.11.2025

प्रतिवादी संख्या 04 की ओर से प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 07 नियम 11 सी.पी.सी. पेश किया गया जिसका इस आदेश के माध्यम से निस्तारण किया जा रहा है।

प्रतिवादी संख्या 04 की ओर से प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 07 नियम 11 सी.पी.सी. पेश निवेदन किया कि :–

1. वादी द्वारा विवादग्रस्त कृषि भूमि के संबंध में घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया और वादी के द्वारा वाद प्रस्तुत करने से पूर्व ही उक्त विवादग्रस्त कृषि भूमि में परिशिष्ट अ में वर्णित भूमि को प्रतिवादी संख्या 01 पे प्रतिवादी संख्या 04 के पक्ष में विक्रय कर 16.12.2022 को विक्रय पत्र निष्पादित कर दिया।
2. वादी के द्वारा दिनांक 16.12.2022 को निष्पादित विक्रय पत्र को सिविल कोर्ट से निरस्त नहीं करवा देता तब तक उक्त वाद विधि द्वारा वर्जित है। चुंकि प्रतिवादी संख्या 04 ने विधिक प्रावधानों के तहत उक्त भूमि को क्रय की तथा रजिस्टर्ड दस्तावेज से काबिज हुई। ऐसी स्थिति में वादी को घोषणा कराने का कोई हक–अधिकार नहीं है और जब तक विक्रय पत्र को निरस्त नहीं करा दे तब तक उक्त वाद विधि द्वारा वर्जित है।

अतः श्रीमान् से निवेदन है कि आदेश 07 नियम 11 जाप्ता दीवानी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर वादी का वाद विधि द्वारा वर्जित होने से खारिज फरमाया जावें।

सहायक कलक्टर
नाथद्वारा, जिला–राजसमन्द

प्रतिवादी संख्या 04 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का अधिवक्ता वादी द्वारा जवाब पेश कर निवेदन किया गया कि:–

1. प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 01 प्रस्तुत रूप में अस्वीकार है, प्रतिवादी संख्या 04 केपक्ष में दिनांक 20.12.2022 को रजिस्टर्ड हुआ, इसलिये यह कहना गलत है कि वाद प्रस्तुत करने से पूर्व निष्पादित हुआ।
2. प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 02 प्रस्तुत रूप से अस्वीकार है, यह कहना गलत है कि दिनांक 16.12.2022 को निष्पादित विक्रय पत्र को सिविल कोर्ट से निरस्त नहीं करवा देता, तब तक उक्त वाद विधि से वर्जित हो, तथा यह कहना गलत है कि वादी को घोषणा कराने का कोई हक अधिकार नहीं है, जबकि वादी को खातेदारी अधिकारों की घोषणा, राजस्व न्यायालय के श्रवणाधिकार एवं क्षैत्राधिकार में है जिसके संबंध में माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर कि नजीर आर आर टी 2019 पार्ट 2 पेज 2039, जिसके स्पष्ट फाईडिंग रही है कि ,जब तक राजस्व न्यायालय द्वारा याचिगण के खातेदार अधिकारों कि डिक्री न हो, तब तक सिविल कोर्ट से अनुतोष प्रदान नहीं किया जा सकता है, वाद किसी प्रकार से विधि वर्जित नहीं है, तथा आदेश 07 नियम 11 सी पी सी में वादी के अभिवचन देखे जायेगें, न की प्रतिवादी की डिफेन्स देखी जायेगी, उक्त सभी तथ्य प्रतिवादी अपने जवाब दावे में लाने हेतु स्वतंत्र है।

अतः प्रार्थना है कि प्रतिवादी ने जो प्रार्थना की है उसका कोई आधार नहीं होने से प्रतिवादी का प्रार्थना पत्र सव्यय खारिज फरमाया जावें।

पत्रावली वास्ते बहस नियत की गई। अधिवक्ता पक्षकारान् की बहस सुनी गई। वादी अधिवक्ता द्वारा प्रतिवादी के प्रार्थना पत्र का खण्डन किया जाकर निवेदन किया कि खातेदारी अधिकारों की घोषणा का राजस्व न्यायालय को श्रवणाधिकार एवं क्षैत्राधिकार है। प्रतिवादी संख्या 04 के अधिवक्ता ने वादी अधिवक्ता के कथनों का खण्डन किया जाकर निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजीयात् के संबंध में वाद दर्ज होने से पूर्व ही वादग्रस्त आराजीयात् का विक्रय जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र किया जा चुका है। उक्त संबंध में वाद सुनने का अधिकार सिविल न्यायालय को होने से वादी का वाद खारिज योग्य है।

अधिवक्ता पक्षकारान् की बहस पर चिंतन एवं मनन किया गया। अधिवक्ता उभयपक्ष के परपस्पर विरोधी तर्कों पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र एवं जमाबंदी का अवलोकन किया तो जाहिर आया कि वादग्रस्त कृषि भूमियां पूर्व में विक्रय हो चुकी है ऐसी परिस्थिति में जब तक वादीगण द्वारा उक्त विक्रय पत्र को सक्षम न्यायालय से निरस्त नहीं करा लिया जाता है तब तक उक्त वाद न्यायालय के श्रवणाधिकार, क्षैत्राधिकार में नहीं है।

समस्त दस्तावेजों, न्यायिक दृष्टांतों अवलोकन के पश्चात् आदेश 07 नियम 11 सी पी सी का अवलोकन किया गया।

आदेश 07 नियम 11 जा.दी. में वाद पत्र का नामंजूर किया जाना निम्नलिखित दशाओं में होता है:–

1. जहां वाद हेतुक प्रकट नहीं होता है।
2. जहां दावाकृत अनुतोष का मूल्यांकन कम किया गया है और वादी मूल्यांकन को ठीक करने के लिये न्यायालय द्वारा अपेक्षित किये जाने पर उस समय के भीतर जो न्यायालय में नियत किया है ऐसा करने में असफल रहता है।
3. जहां दावाकृत अनुतोष का मूल्यांकन ठीक है किन्तु वादपत्र अपर्याप्त स्टाम्प पत्र पर लिखा गया है और वादी अपेक्षित स्टाम्प पत्र के देने में न्यायालय द्वारा अपेक्षित समय के भीतर ऐसा करने में असफल रहता है।
4. जहां वाद पत्र के कथन से यह प्रतीत होता है कि वाद किसी विधि द्वारा वर्जित है।
5. जहां दो प्रतियों में फाईल नहीं किया जाता है।
6. जहां वादी नियम 9 के उपबंधों का अनुपालन करने में असफल रहता है।

सहायक कलक्टर
नाथद्वारा, जिला-राजसमन्द

प्रतिवादी संख्या 04 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का अधिवक्ता वादी द्वारा जवाब पेश कर निवेदन किया गया कि:–

1. प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 01 प्रस्तुत रूप में अस्वीकार है, प्रतिवादी संख्या 04 केपक्ष में दिनांक 20.12.2022 को रजिस्टर्ड हुआ, इसलिये यह कहना गलत है कि वाद प्रस्तुत करने से पूर्व निष्पादित हुआ।
2. प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 02 प्रस्तुत रूप से अस्वीकार है, यह कहना गलत है कि दिनांक 16.12.2022 को निष्पादित विक्रय पत्र को सिविल कोर्ट से निरस्त नहीं करवा देता, तब तक उक्त वाद विधि से वर्जित हो, तथा यह कहना गलत है कि वादी को घोषणा कराने का कोई हक अधिकार नहीं है, जबकि वादी को खातेदारी अधिकारों की घोषणा, राजस्व न्यायालय के श्रवणाधिकार एवं क्षैत्राधिकार में है जिसके संबंध में माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर कि नजीर आर आर टी 2019 पार्ट 2 पेज 2039, जिसके स्पष्ट फाईडिंग रही है कि ,जब तक राजस्व न्यायालय द्वारा याचिगण के खातेदार अधिकारों कि डिक्री न हो, तब तक सिविल कोर्ट से अनुतोष प्रदान नहीं किया जा सकता है, वाद किसी प्रकार से विधि वर्जित नहीं है, तथा आदेश 07 नियम 11 सी पी सी में वादी के अभिवचन देखे जायेगें, न की प्रतिवादी की डिफेन्स देखी जायेगी, उक्त सभी तथ्य प्रतिवादी अपने जवाब दावे में लाने हेतु स्वतंत्र है।

अतः प्रार्थना है कि प्रतिवादी ने जो प्रार्थना की है उसका कोई आधार नहीं होने से प्रतिवादी का प्रार्थना पत्र सव्यय खारिज फरमाया जावें।

पत्रावली वास्ते बहस नियत की गई। अधिवक्ता पक्षकारान् की बहस सुनी गई। वादी अधिवक्ता द्वारा प्रतिवादी के प्रार्थना पत्र का खण्डन किया जाकर निवेदन किया कि खातेदारी अधिकारों की घोषणा का राजस्व न्यायालय को श्रवणाधिकार एवं क्षैत्राधिकार है। प्रतिवादी संख्या 04 के अधिवक्ता ने वादी अधिवक्ता के कथनों का खण्डन किया जाकर निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजीयात् के संबंध में वाद दर्ज होने से पूर्व ही वादग्रस्त आराजीयात् का विक्रय जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र किया जा चुका है। उक्त संबंध में वाद सुनने का अधिकार सिविल न्यायालय को होने से वादी का वाद खारिज योग्य है।

अधिवक्ता पक्षकारान् की बहस पर चिंतन एवं मनन किया गया। अधिवक्ता उभयपक्ष के परपस्पर विरोधी तर्कों पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र एवं जमाबंदी का अवलोकन किया तो जाहिर आया कि वादग्रस्त कृषि भूमियां पूर्व में विक्रय हो चुकी है ऐसी परिस्थिति में जब तक वादीगण द्वारा उक्त विक्रय पत्र को सक्षम न्यायालय से निरस्त नहीं करा लिया जाता है तब तक उक्त वाद न्यायालय के श्रवणाधिकार, क्षैत्राधिकार में नहीं है।

समस्त दस्तावेजों, न्यायिक दृष्टांतों अवलोकन के पश्चात् आदेश 07 नियम 11 सी पी सी का अवलोकन किया गया।

आदेश 07 नियम 11 जा.दी. में वाद पत्र का नामंजूर किया जाना निम्नलिखित दशाओं में होता है:–

1. जहां वाद हेतुक प्रकट नहीं होता है।
2. जहां दावाकृत अनुतोष का मूल्यांकन कम किया गया है और वादी मूल्यांकन को ठीक करने के लिये न्यायालय द्वारा अपेक्षित किये जाने पर उस समय के भीतर जो न्यायालय में नियत किया है ऐसा करने में असफल रहता है।
3. जहां दावाकृत अनुतोष का मूल्यांकन ठीक है किन्तु वादपत्र अपर्याप्त स्टाम्प पत्र पर लिखा गया है और वादी अपेक्षित स्टाम्प पत्र के देने में न्यायालय द्वारा अपेक्षित समय के भीतर ऐसा करने में असफल रहता है।
4. जहां वाद पत्र के कथन से यह प्रतीत होता है कि वाद किसी विधि द्वारा वर्जित है।
5. जहां दो प्रतियों में फाईल नहीं किया जाता है।
6. जहां वादी नियम 9 के उपबंधों का अनुपालन करने में असफल रहता है।

सहायक कलक्टर
नाथद्वारा, जिला-राजसमन्द

समग्र दस्तावेजों के अवलोकन से जाहिर आया कि वादी द्वारा प्रस्तुत वाद विधि द्वारा वर्जित होने से अस्वीकार होकर खारिज किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः आदेश सुनाया जाता है।

—: आदेश :—

परिणामतः प्रतिवादी संख्या 04 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 07 नियम 11 सी पी सी का स्वीकार किया जाता है। वादी द्वारा प्रस्तुत वाद बाबत् घोषणा, इन्दाज दुरूस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा विधि द्वारा वर्जित होने से अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार हो/नबंर से कम होकर/ दाखिल दफ्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 11.11.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रक्षा पारिक, RAS)
सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट नाथद्वारा

सहायक कलक्टर
नाथद्वारा, जिला-राजसमन्द